Utilization of Crop Residue

21. (14/14/397). Sh. Varun Chaudhry MLA: Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be pleased to state the action taken by the Government for the utilization of crop residue in State togetherwith the volume of crop residue which is still lying un-utilized?

JAI PRAKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

Sir, the State is making all out efforts for utilization of crop residue. The total paddy area in the State is about 34.35 lakh acres generating about 70 lakhs metric ton (LMT) of crop residue. Out of this about 34 LMT of basmati crop residue is utilized as animal feed and the remaining 36 LMT is being managed by in-situ (23 LMT) and ex-situ (13 LMT) management practices besides consumption in biomass/ paper/ cardboard/ power/ ethanol plants/ industries. The details of efforts made by State for utilization of crop residue are given as under:

i. Subsidy @ 50% to 80% is being provided for purchase of machine for management of crop residue to the farmers. Subsidy of Rs. 666 crore has been provided to the farmers for purchase of 79477 crop residue management machines since 2018-19.

ii. Incentive @ Rs. 1000/- per acre is being provided to the farmers for in-situ/ex-situ management of crop residue. An amount of Rs. 9 crore and Rs. 25 crore was disbursed during the year 2020-21 & 2021-22 respectively. During the current year, 92442

farmers have registered for management of residue in 8.43 lakh acres of paddy with incentive amounting to Rs. 84.3 crore.

iii. Provision of additional top up assistance @ Rs. 500/MT in addition to current provision of assistance @ Rs.500/MT. Thereby total to Rs. 1000/MT to the clusters identified by IOCL for 2G ethanol plant for supply of roughly 2 lakh MT of paddy crop residue.

iv. Cluster of villages producing bio-mass in vicinity of various industrial unit are being formed by the New and Renewable Energy department in consultation with Agriculture & Farmer Welfare Department, Haryana to ensure uninterrupted supply of crop residue to such industrial units.

v. An ex-situ policy has been formulated as per directions of Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining area to ensure uninterrupted supply of paddy crop residue and same will be notified soon. The policy envisages for uninterrupted and adequate supply of paddy crop residue to the industries by providing various types of benefits.

vi. Panchayat land for storage of paddy crop residue is provided by concerned Panchayats.

vii. Awareness regarding ill-effects of crop residue burning and their alternative solutions created through village/Block/Subdivision/district level awareness camps, Print/Social Media, Farmers Trainings, School/college level activities/rallies and involving women and religious places i.e. Gurudwara, Temple, Satsang Bhawan etc.

viii. Deputy Commissioners at District level and Sub Divisional Officers at sub divisional level were deputed as nodal officers for utilization of crop residue and not burning crop residue.

ix. Lambardar were roped in for mobilizing the farmers for utilization of crop residue and not burning crop residue.

x. As a result of the efforts made by the State, a reduction of 48% has been achieved during the current year in comparison to previous year, which is the most significant reduction in any of the previous years, details given as under:

2021	**2022**	**% Reduction**
6987	3661	48%

No crop residue is lying unutilized in any of the district of the State at present.

******

फसल अवशेष का उपयोग

21. (14/14/397). श्री वरुण चौधरी विधायकः क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में फसल अवशेषों के उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए एवं फसल अवशेषों की मात्रा भी बताएं जो अभी तक उपयोग में नहीं लाई गई है?

जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

महोदय, फसल अवशेषों के उपयोग के लिए राज्य भरसक प्रयास कर रहा है। राज्य में कुल धान का क्षेत्रफल लगभग 34.35 लाख एकड़ है, जिससे लगभग 70 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष उत्पन्न होता है। इसमें से लगभग 34 लाख मीट्रिक टन बासमती फसल अवशेषों का उपयोग पशु चारे के रूप में किया जाता है और शेष 36 लाख मीट्रिक टन का प्रबंधन इन-सीटू (23 लाख मीट्रिक टन) और एक्स-सीटू (13 लाख मीट्रिक टन) प्रबंधन माध्यमों द्वारा एवं बायोमास/कागज/कार्डबोर्ड/बिजली/इथेनॉल संयंत्र/ उद्योगों में खपत के लिए किया जाता है। राज्य द्वारा फसल अवशेषों के उपयोग के लिए किए गए प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है:-

i. किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए मशीन खरीदने पर 50% से 80% की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2018-19 से अब तक 79477 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद के लिए किसानों को 666 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है ।

ii. किसानों को फसल अवशेषों के इन-सीटू/एक्स-सीटू प्रबंधन करने के लिए 1000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 9 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया। चालू वर्ष के दौरान, 92442 किसानों ने 8.43 लाख एकड़ क्षेत्र में धान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पंजीकरण किया है । जिसके लिए 84.3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ।

iii. आईओसीएल के 2जी इथेनॉल संयंत्र के लिए धान फसल अवशेष की आपूर्ति हेतू वर्तमान में 500/- रुपये मीट्रिक टन की दर से दी जा रही सहायता के अतिरिक्त 500/- रुपये मीट्रिक टन की सहायता का प्रावधान किया गया है । इस प्रकार आईओसीएल के 2जी इथेनॉल संयंत्र के लिए चयनित क्लस्टरों के लिए कुल 1000/- रुपये मीट्रिक

टन की सहायता का प्रावधान किया गया है । ताकि प्लांट के लिए लगभग 2 लाख मीट्रिक टन धान की फसल के अवशेषों की आपूर्ति की जा सकें ।

iv. औद्योगिक इकाइयों को फसल अवशेषों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के परामर्श से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के आसपास बायोमास उत्पन्न करने वाले गांवों का कलस्टर बनाया जा रहा है।

v. धान फसल अवशेषों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार एक एक्स-सीटू नीति तैयार की गई है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। नीति में उद्योगों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करते हुए धान फसल अवशेषों की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

vi. संबंधित पंचायतों द्वारा धान फसल अवशेषों के भण्डारण हेतू पंचायत भूमि उपलब्ध करायी जाती है।

vii. फसल अवशेषों को जलाने के दुष्प्रभावों और उनके वैकल्पिक समाधानों की जागरूकता हेतू गांव/ब्लॉक/उपमंडल/जिला स्तरीय जागरूकता शिविरों, प्रिंट/सोशल मीडिया, किसान प्रशिक्षण, स्कूल/कॉलेज स्तर की गतिविधियों/रैलियों और महिलाओं और धार्मिक स्थलों यानी गुरुद्वारा, मंदिर, सत्संग भवन आदि को शामिल किया गया ।

viii. फसल अवशेषों के उपयोग एवं पराली न जलाने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त एवं उपमंडल स्तर पर उपमंडल अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ।

ix. लंबरदार को फसल अवशेषों के उपयोग और फसल अवशेषों को न जलाने के लिए किसानों को लामबंद करने के लिए हेतु नियुक्त किया गया ।

x. राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 48% की कमी हासिल की गई है, जो पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण कमी है। विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

2021	2022	% कमी
6987	3661	48%

वर्तमान में राज्य के किसी भी जिले में कोई भी फसल अवशेष अनुपयोगी नहीं पड़ा है।